न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 51/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/125

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामस्वरूप पुत्र घीसालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी बरवाली, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।		तहसीलदार मकराना।

अपील विरुद्ध नामांतरण दिनांक.. (अस्पष्ट) के सम्बंध मे प्रविष्टि संख्या 27 के सम्बंध में पारित आदेश दिनांक 17.01.1994 जो कि वाके सरहद बरवाली पंचायत भरनाई तहसील परबतसर मे स्थित खेत खसरा नम्बर 30/5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा मे से 1201.69 वर्ग गज भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 194/30 ग्राम बरवाली तहसील मकराना) के सम्बंध मे आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश के आधार पर नामांतरण नही भरने के सम्बंध मे पारित आदेश के विरुद्ध।

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील अपीलान्ट की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांक : 09.09.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

यह हैं कि अपील से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि वाके सरहद बरवाली पंचायत भरनाई तहसील परबतसर में स्थित खेत खसरा नम्बर 30/5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा मे से 1201.69 वर्ग गज भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 194/30 ग्राम बरवाली तहसील मकराना) के सम्बंध में अपीलांट की और से आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि को संपरिवर्तन करने बाबत कार्यवाही शुरु की गई थी। उक्त कार्यवाही में आदेश के पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा नामांतरण दर्ज नहीं कर उक्त नामांतरण को अस्वीकार कर दिया। प्रविष्टि संख्या 27 के सम्बंध में पारित आदेश दिनांक 17.01.1994 जिसमे नामांतरण दिनांक.. .. (अस्पष्ट) को अस्वीकार किया गया के विरुद्ध अपीलांट की ओर से निम्न आधारो पर अपील श्रीमान के समक्ष पेश हैं:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

–:: अपील के आधार ::–

1. यह हैं कि योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय परबतसर (वर्तमान तहसील मकराना होने से तहसीलदार मकराना) द्वारा उक्त नामांतरण दर्ज ना करने मे न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की हैं। अतः उक्त नामांतरण ना दर्ज करने का आदेश अधीन अपील अपास्त होकर उक्त भूमि का नामांतरण अपीलांट के पक्ष मे दर्ज किये जाने योग्य हैं।
2. यह हैं कि योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय परबतसर (वर्तमान तहसील मकराना होने से तहसीलदार मकराना) द्वारा उक्त नामांतरण ना दर्ज करने मे घौर वैधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की हैं। अतः उक्त नामांतरण ना दर्ज करने का आदेश अधीन अपील अपास्त होकर उक्त भूमि का नामांतरण अपीलांट के पक्ष मे दर्ज किये जाने योग्य हैं।
3. यह हैं कि योग्य अधिनस्थ योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय परबतसर (वर्तमान तहसील मकराना होने से तहसीलदार मकराना) द्वारा उक्त नामांतरण दर्ज ना करने मे पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रुप से विवेचन ना करते हुये उक्त आदेश पारित किया हैं। अतः उक्त नामांतरण ना दर्ज करने का आदेश अधीन अपील अपास्त होकर उक्त भूमि का नामांतरण अपीलांट के पक्ष मे दर्ज किये जाने योग्य हैं।
4. यह हैं कि अपीलांट ने वाके सरहद बरवाली पंचायत भरनाई तहसील परबतसर मे स्थित खेत खसरा नम्बर 30/5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा मे से 1201.69 वर्ग गज भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 194/30 ग्राम बरवाली तहसील मकराना) के सम्बंध मे आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि को संपरिवर्तन करने बाबत कार्यवाही शुरु की गई थी। अपीलांट द्वारा की कृषि भूमि से आबादी भूमि मे परिवर्तन बाबत चालान संख्या 933 दिनांक 17.01.1004 से नियमानुसार शुल्क 1202 रुपये जमा करवाकर संपरिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिया था। जो कि तहसीलदार परबतसर द्वारा जारी किया गया था जिसकी एक प्रति मुझ प्रार्थी को भेजी गई थी। उक्त आदेश की एक प्रति पटवारी हल्का भरनाई के पास भेजी गई थी। उक्त आदेश के आधार पर प्रत्यर्थी की और से नामांतरण दर्ज नही किया गया हैं। अतः उक्त नामांतरण ना दर्ज करने का आदेश अधीन अपील अपास्त होकर उक्त भूमि का नामांतरण अपीलांट के पक्ष मे दर्ज किये जाने योग्य हैं।
5. यह हैं कि वाके सरहद बरवाली पंचायत भरनाई तहसील परबतसर मे स्थित खेत खसरा नम्बर 30/5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा मे से 1201.69 वर्ग गज भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 194/30 ग्राम बरवाली तहसील मकराना) के सम्बंध मे आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन हो जाने के बाद उक्त संपरिवर्तन के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण दर्ज ना करने के सम्बंध मे पारित आदेश क्षेत्राधिकार बाहर होकर उक्त भूमि के सम्बंध में अपीलांट के हक मे नामांतरण दर्ज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

6. यह हैं कि वाके सरहद बरवाली पंचायत भरनाई तहसील परबतसर मे स्थित खेत खसरा नम्बर 30/5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा मे से 1201.69 वर्ग गज भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 194 / 30 ग्राम बरवाली तहसील मकराना) के सम्बंध में पारित आदेश की जानकारी अपीलांट को हाल के समय दिनांक 20.06.2025 को नकलें प्राप्त करने पर हुई हैं, ईसलिए अब जानकारी की दिनांक से अपील श्रीमान के समक्ष पेश हैं।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर निवेदन हैं कि अपील बहक अपीलान्ट विरुद्ध प्रत्यर्थी स्वीकार फरमायी जाकर वाके सरहद बरवाली पंचायत भरनाई तहसील परबतसर में स्थित खेत खसरा नम्बर 30 / 5 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा मे से 1201.69 वर्ग गज भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 194 / 30 ग्राम बरवाली तहसील मकराना) प्रविष्टि संख्या 27 के सम्बंध मे पारित आदेश दिनांक 17.01.1994 के आधार पर नामान्तरण दिनांक.. (अस्पष्ट) दर्ज नही करने बाबत आदेश को अपास्त फरमाया जाकर उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ अपीलांट के हक मे नामांतरण दर्ज के आदेश सादर फरमावें।

प्रकरण में तहसीलदार मकराना से रिपोर्ट ली गई। तहसलदार मकराना के पत्रांक 2630 दिंनाक 08.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में उक्त नामान्तरण सहखातेदारी की भूमि में से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के कारण उक्त रूपान्तरित भूमि का नामान्तरण अस्वीकार किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ग्राम बरवाली के खसरा नम्बर 30 / 5 रकबा 48.10 बीघा का जरिये सहमती विभाजन नामान्तरकरण संख्या 752 दिनांक 07.10.2010 से हाल खसरा नम्बर 194 / 30 रकबा 0.1093 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 रामस्वरूप पुत्र घीसालाल जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 194 / 30 रकबा 0.1093 हैक्टेयर एकल खातेदारी में दर्ज होने से वर्तमान में रकबा 1201.69 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार मकराना के पत्रांक 2630 दिंनाक 08.09.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नामान्तरण सहखातेदारी की भूमि में से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के कारण उक्त रूपान्तरित भूमि का नामान्तरण अस्वीकार किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ग्राम बरवाली के खसरा नम्बर 30 / 5 रकबा 48.10 बीघा का जरिये सहमती विभाजन नामान्तरकरण संख्या 752 दिनांक 07.10.2010 से हाल खसरा नम्बर 194 / 30 रकबा 0.1093 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 रामस्वरूप पुत्र घीसालाल जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 194 / 30 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

0.1093 हैक्टेयर एकल खातेदारी में दर्ज होने से वर्तमान में रकबा 1201.69 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मकराना को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक **09.09.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09.09.25

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:50 IST
Reason: SelfAttested